

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2025
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0255 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 29/09/2025 17:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From**
(दिनांक से): 17/09/2025 **Date To**
(दिनांक तक): 28/09/2025
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 11:15 बजे **Time To**
(समय तक): 14:33 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 29/09/2025 **Time**
(समय): 14:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 002 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 29/09/2025 17:44:14 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): EAST, 45 किमी **Beat No.**
(बीट सं.) : NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** SHRIRAM BHOJNALAY, JAITPURA CHORAHHA PALI
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RATAN LAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): CHUNNI LAL

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1972

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAITPURA GRAM PANCHAYAT, JANUDA, MARWAR JUNCTION, MARWAR JUNCTION(PALI), PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAITPURA GRAM PANCHAYAT, JANUDA, MARWAR JUNCTION, MARWAR JUNCTION(PALI), PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):



7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ARUN KUMAR		पिता: BHANWAR LAL	1. PRASHASAK, UP SARPANCH, JAITPURA GRAM PANCHAYAT, JANUDA MARWAR JUNCTION, MARWAR JUNCTION(PALI), PALI, RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	150000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा	1,50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

1,50,000.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा मे श्रीमान एडिश्रल एसपी साहब एसबी पाली द्वितिय । विषय- रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने हेतु। महोदय जी, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै रतनलाल पुत्र श्री चुन्नी लाल जाति खटीक उम्र 53 साल निवासी जैतपुरा ग्राम पंचायत जाणुंदा तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली का होकर अपने पुत्र मुरलीधर के साथ ही ग्राम जैतपुरा मे रहता हूं मेरा पुत्र मुरलीधर आधी बार गंगापुर की तरफ किसी काम के बहाने रहता है। हमारे ग्राम जैतपुरा की आबादी भूमि मे करीब 1871-87 वर्ग फीट का प्लाट आया हुआ है। जिस पर रहवासी पक्का मकान व चारदीवारी बनी हुई है। मेरे पुत्र मुरलीधर खटीक द्वारा वर्ष 2021 मे ग्राम पंचायत जाणुंदा मे उक्त प्लोट के पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत जाणुंदा द्वारा मेरे पुत्र मुरलीधर के नाम से पट्टा संख्या 02 दिनांक 20-07-2021 को जारी किया गया तथा उप पंजीयक मारवाड जक्शन मे दिनांक 09-09-2021 को रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। हमारे पट्टे की शिकायत होने पर दिनांक 06-06-2025 को एडीएम साहब पाली ने हमारे उक्त पट्टे को निरस्त कर दिया इसके बाद ग्राम पंचायत जाणुंदा के सरपंच को पद से हटाकर उप सरपंच श्री अरूण कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया। दिनांक 20-06-2025 को ग्राम पंचायत जाणुंदा ने हमारे उक्त पट्टा शुदा प्लोट पर बने कब्जे को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। आज से करीब दस पन्द्रह दिन पहले मै श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा से मिला तो उन्होने मुझे कहा की आपका पट्टा एडीएम साहब पाली ने निरस्त कर दिया है अब अगर दुबारा नया पट्टा बनवाना है तो नये सिरे से आवेदन कर दो पट्टा बना दूंगा। जिस पर मैने श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा को मेरे पुत्र के नाम से पट्टा बनवाने के संपूर्ण दस्तावेज पेश किये तो उन्होने मुझे कहा कि बिना खर्चा पानी के पट्टा नही बनेगा अगर तीन लाख रुपये दोगे तो ही पट्टा बनउंगा अन्यथा तुम्होरे कब्जे को भी अतिक्रमण मे लेकर हटा दूंगा। मैने काफी मिन्नते की तो श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा ने दो लाख सतर हजार रुपये पट्टा बनाने के मांगे। मै मेरे पुत्र मुरलीधर का पट्टा बनवाने की एवज मे श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरे या मेरे पुत्र मुरलीधर व श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा के आपस मे कोई लेन देन बकाया नही है एवं ना ही कोई आपसी रंजीश है। अत मेरी रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करावे। दिनांक 17-09-2025

प्रार्थी एसडी रतनलाल पुत्र श्री चुन्नी लाल जाति खटीक उम्र 53 साल निवासी जैतपुरा ग्राम पंचायत जाणुंदा तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली मोबाईल नंबर- [REDACTED] कार्यवाही एसबी दिनांक 17-09-2025 वक्त 11-15 एएम इस समय परिवादी श्री रतनलाल पुत्र श्री चुन्नी लाल जाति खटीक उम्र 53 साल निवासी जैतपुरा ग्राम पंचायत जाणुंदा तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली ब्यूरो चौकी हाजा पर उपस्थित आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मै रतनलाल पुत्र श्री चुन्नी लाल जाति खटीक उम्र 53 साल निवासी जैतपुरा ग्राम पंचायत जाणुंदा तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली का होकर अपने पुत्र मुरलीधर के साथ ही ग्राम जैतपुरा मे रहता हूं मेरा पुत्र मुरलीधर आधी बार गंगापुर की तरफ किसी काम के बहाने रहता है। हमारे ग्राम जैतपुरा की आबादी भूमि मे करीब 1871-87 वर्ग फीट का प्लाट आया हुआ है। जिस पर रहवासी पक्का मकान व चारदीवारी बनी हुई है। मेरे पुत्र मुरलीधर खटीक द्वारा वर्ष 2021 मे ग्राम पंचायत जाणुंदा मे उक्त प्लोट के पट्टे हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत जाणुंदा द्वारा मेरे पुत्र मुरलीधर के नाम से पट्टा संख्या 02 दिनांक 20-07-2021 को जारी किया गया तथा उप पंजीयक मारवाड जक्शन मे दिनांक 09-09-2021 को रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। हमारे पट्टे की शिकायत होने पर दिनांक 06-06-2025 को एडीएम साहब पाली ने हमारे उक्त पट्टे को निरस्त कर दिया इसके बाद ग्राम पंचायत जाणुंदा के सरपंच को पद से हटाकर

उप सरपंच श्री अरूण कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया। दिनांक 20-06-2025 को ग्राम पंचायत जाणुंदा ने हमारे उक्त पट्टा शुदा प्लोट पर बने कब्जे को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। आज से करीब दस पन्द्रह दिन पहले मैं श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा से मिला तो उन्होंने मुझे कहा की आपका पट्टा एडीएम साहब पाली ने निरस्त कर दिया है अब अगर दुबारा नया पट्टा बनवाना है तो नये सिरे से आवेदन कर दो पट्टा बना दूंगा। जिस पर मैंने श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा को मेरे पुत्र के नाम से पट्टा बनवाने के संपूर्ण दस्तावेज पेश किये तो उन्होंने मुझे कहा कि बिना खर्चा पानी के पट्टा नहीं बनेगा अगर तीन लाख रुपये दोगे तो ही पट्टा बनउंगा अन्यथा तुम्हारे कब्जे को भी अतिक्रमण मे लेकर हटा दूंगा। मैंने काफी मिन्नते की तो श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा ने दो लाख सतर हजार रुपये पट्टा बनाने के मांगे। मैं मेरे पुत्र मुरलीधर का पट्टा बनवाने की एवज मे श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा को रिश्तत नहीं देना चाहता हूं तथा उन्हें रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरे या मेरे पुत्र मुरलीधर व श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा के आपस मे कोई लेन देन बकाया नहीं है एवं ना ही कोई आपसी रंजीश है। अत मेरी रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करावे। परिवादी श्री रतनलाल ने उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट किसी ईमित्र सेंटर से कमप्युटर से टाईप करवाना तथा रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री रतनलाल ने रिपोर्ट के साथ पूर्व मे जारी पट्टा, उप पंजीयक मारवाड जक्शन द्वारा पट्टे के रजिस्टेशन संबंधित दस्तावेजात, ग्राम पंचायत जाणुंदा द्वारा जारी नोटिस एवं उक्त पट्टे को खारिज करने संबंधि निर्णय दिनांक 06-06-2025 की प्रतियां व पहचान पत्र के रूप मे आधार कार्ड एवं परिवादी के पुत्र श्री मुरलीधर द्वारा अपने पापा को सरकारी काम काज एवं बैंक आदि कार्यों मे कार्य करने के लिए अधिकृत अधिकार पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की। परिवादी श्री रतनलाल को आधार कार्ड मे लिखे पते के बारे मे पुछने पर बताया कि मैं गांव गिलुण्ड जिला राजसमंद का रहने वाला हूं तथा अब काफी समय से मैं जैतपुरा मे ही निवास कर रहा हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियां प्रकरण मे वांछित होने से शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री रतनलाल ने बताया कि मेरे पुत्र मुरलीधर के नाम से जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20-07-2021 की शिकायत होने पर दिनांक 06-06--2025 को एडीएम साहब पाली द्वारा उक्त पट्टे को खारिज कर दिया गया। पट्टा खारिज होने पर ग्राम पंचायत जाणुंदा ने दिनांक 20-06-2025 को हमारे पट्टा शुदा मकान का कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किये जिस पर मैं श्री अरूण कुमार प्रशासक (उप सरपंच) से मिला तो उन्होंने मुझे अपने पुत्र मुरलीधर के नाम से पट्टा बनाने के लिए नये सिरे से आवेदन करने का कहा जिस पर मैंने मेरे पुत्र के नाम से पट्टा बनाने के लिए आवेदन पत्रावली तैयार कर श्री अरूण कुमार को दी तो उन्होंने कहा कि बिना खर्चा पानी के पट्टा नहीं बनेगा और पट्टा बनाना है तो तीन लाख रुपये देने पडेंगे जिस पर मेरे द्वारा श्री अरूण कुमार को काफी मिन्नते करने पर तीन लाख रुपये से कम कर दो लाख सत्तर हजार रुपये मे पट्टा बनाने के हामी भरी। परिवादी की रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों पर लोकसेवक द्वारा रिश्तत राशि मांग करने से संबंधित होने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने से प्रथमत रिश्तत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने के संबंध मे समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रतनलाल ने बताया कि आज मुझे किसी काम से खिंवाडा जाना है तथा आज दिनांक को श्री अरूण कुमार प्रशासक भी ग्राम पंचायत जाणुंदा मे उपस्थित होंगे या नहीं इसकी जानकारी भी नहीं है। मैं कल दिनांक 18-09-2025 को श्री अरूण कुमार का ग्राम पंचायत जाणुंदा मे उपस्थित होने के बारे मे जानकारी कर रिश्तत राशि मांग संबंधि वार्ता रिकार्ड करवाकर सत्यापन करवा सकता हूं। तत्पश्चात कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री भवानी सिंह हैड कानि को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादी श्री रतनलाल व भवानी सिंह हैड कानि का आपस मे परिचय करवाया जाकर दोनो के मोबाईल नंबर आपस मे आदान प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात श्री भवानी सिंह हैड कानि को निर्देशित किया कि परिवादी श्री रतनलाल के बताये अनुसार कल दिनांक 18-09-2025 को परिवादी से संपर्क कर परिवादी के बताये अनुसार स्थान पर जाकर रिश्तत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन संबंधि कार्यवाही करावे। तत्पश्चात परिवादी श्री रतनलाल को आवश्यक समझाईस कर गोपनीयता की हिदायत कर वक्त 01-15 पीएम पर रुखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18-09-2025 को समय- 10-30 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भवानी सिंह हैड कानि को अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादी श्री रतनलाल के बताये अनुसार रिश्तत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर व नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री रतनलाल से संपर्क करने के लिए हैड कानि के निजी वाहन से ग्राम जाणुंदा मारवाड जक्शन की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 06-30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा श्री भवानी सिंह हैड कानि बाद रिश्तत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के कार्यालय हाजा पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया तथा कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमे रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है जो बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं श्रीमान जी के निर्देशानुसार चौकी हाजा से रवाना होकर ग्राम जाणुंदा पहुंचा जहां पर जाणुंदा ग्राम से बाहर की तरफ पूर्व की वार्तानुसार परिवादी श्री रतनलाल उपस्थित मिला जिसने बताया कि मैंने श्री अरूण कुमार प्रशासक (उप सरपंच) की मौजूदगी के बारे मे उनसे मोबाईल पर वार्ता कर जानकारी ली तो श्री अरूण कुमार ने ग्राम पंचायत जाणुंदा मे किसी आवश्यक कार्य मे व्यस्त होना बताया तथा थोड़ी देर बाद अपने बेरे (कृषि फार्म) पर जाने के बाद

मुझे फोन करके बताने व बेरे पर ही आने का कहा है। जिस पर मैं व परिवारी गोपनीय स्थान पर अरूण कुमार के फोन के इंतजार में मुकीम हुए। समय करीब 03-15 पीएम पर अरूण कुमार का फोन परिवारी के पास आया तथा परिवारी को उसके बेरे पर ही आने का कहा। जिस पर मैं व परिवारी श्री रतनलाल, अपने अपने वाहनों से श्री अरूण कुमार के बेरे की तरफ रवाना होकर बेरे से थोड़ा पहले पहुंचे जहां पर मैंने हमरा ले गया कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड के चालू कर परिवारी श्री रतनलाल को सुपुर्द कर रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने परिवारी की मोटर साईकिल से एसओ के बेरे की तरफ रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अपने वाहन में मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवारी श्री रतनलाल एसओ के बेरे से बाहर आकर मन हैड कानि के पास आया जिस पर मैंने परिवारी से कार्यालय हाजा का पूर्व में दिया हुआ डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा तत्पश्चात वहां से हम दोनों अपने अपने वाहनों से रवाना होकर जैतपुरा चौराहे पर गोपनीय स्थान पर पहुंचे। जहां पर परिवारी ने मुझे बताया कि श्री अरूण कुमार प्रशासक के बेरे पर जाने के बाद मैंने उनसे फोन कर पुछा तो उन्होंने बेरे पर ही होना बताया तथा अंदर आने का कहा जिस पर मैं श्री अरूण कुमार के बेरे पर गया तो वहां पर अरूण कुमार मिले जिनसे मैंने मेरे पुत्र मुरलीधर से बात करने का कहा तथा मेरे पुत्र के मोबाईल नंबर उनको बताये तो उन्होंने मेरे पुत्र को फोन लगाकर वार्ता की तो मेरे पुत्र मुरलीधर ने अरूण कुमार से पट्टा बनाने के बारे में बात की और रूपयों के बारे में पुछा तो उन्होंने मेरे पुत्र को कहा कि आपके पापा को कह दिया है उसके पश्चात मैंने अरूण कुमार से मेरे पुत्र के पट्टे के बारे में वार्ता की तो पहले बताये अनुसार ही दो सत्तर देने का कहा जिस पर मैंने कहा कि आपने मुझे पहले एक लाख पचास हजार रुपये देने का बोला था तथा एक लाख बीस हजार रुपये पट्टा सौपते समय कहा था तो श्री अरूण कुमार ने कहा कि आपको क्लीयर कट करने है दो सत्तर पूरे ही देने पड़ेंगे जिस पर मैंने उनको बताया कि मैंने मेरे लडके को डेढ का बोल दिया है साथ ही बताया कि मेरा पुत्र जैसे ही मेरे खाते में पैसे डाल देगा दो दिन में, मैं आपको पेमेंट लाकर दे दूंगा। तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवारी श्री रतनलाल को रिश्तत राशि के डेढ लाख रुपये की व्यवस्था करने का कहा तो परिवारी ने बताया कि श्री अरूण कुमार द्वारा मांगी गई रिश्तत राशि 150000/- रुपये की व्यवस्था नहीं हो सकती मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100000/- रूपयों की व्यवस्था हो सकती है बाकी के 50000/- रूपयों के डमी नोट की व्यवस्था कर सकता हूं। जिस पर परिवारी को उक्त के क्रम में व्यवस्था करने हेतु श्रीमान के निर्देशानुसार निर्देशित कर व्यवस्था अनुसार रिश्तत राशि साथ लेकर आने की हिदायत कर जैतपुरा चौराहे से ही रूखसत किया गया। तत्पश्चात हैड कानि के बताये तथ्यों के क्रम में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर सुना तो रिकार्ड वार्ताओं में रिश्तत राशि मांग करना पाया गया। डिजिटल वायस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा आईदा परिवारी के उपस्थित आने पर गवाह की तलबी कर रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। रिश्तत राशि मांग सत्यापन संबंधि हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये निर्देशानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तत्पश्चात दिनांक- 23-09-2025 समय- 10-30 एएम पर रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्डिंग का मैमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में निकालकर मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लैपटाप से जोड़कर मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में सेव कर रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दों का टंकण कम्प्यूटर के माध्यम से करने के लिए श्री भवानी सिंह हैड कानि को निर्देशित किया गया। मूल मैमोरी कार्ड लैपटाप से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। इस गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से भवानी सिंह हैड कानि को गवाहान की तलबी कर पाबंद करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय- 04-30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के निर्देशानुसार श्री भवानी सिंह हैड कानि ने रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता का टंकण कर टंकण की हार्ड कापी का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दों का मिलान रिकार्ड वार्ता से किया जाकर टंकण की साफ्ट कापी लैपटाप में सेव रखवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवारी की उपस्थिति में टंकणीय शब्दों को मिलान कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कि जावेगी। श्री भवानी सिंह हैड कानि द्वारा पूर्व के निर्देशानुसार इस गोपनीय कार्यवाही में गवाहान की तलबी जरिये तहरीर कर गवाह को पाबंद किया जा चुका है। जिनको वक्त जरूरत कार्यवाही हेतु तलब किया जायेगा। तत्पश्चात दिनांक- 25-09-2025 समय- 10-30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित है तथा गोपनीय कार्यवाही में पाबंद किये गये गवाहान को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए निर्देशित किया गया जिसके क्रम में श्री विनोद कुमार व श्री प्रशांत कुमार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को परिचय पुछने पर अपना अपना नाम श्री विनोद कुमार पुत्र श्री गाजीराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष निवासी मकान नं0 141, कृष्णा नगर पुलिस लाइन के पीछे पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पाली व श्री प्रशान्त कुमार ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री वेदानंद ठाकुर जाति ब्राह्मण उम्र 35 वर्ष निवासी मानपुरा भाकरी पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पाली बताया दोनों गवाहों को गोपनीय कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया तथा परिवारी के उपस्थित आने पर परिवारी व दोनों

गवाहों का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाया जायेगा। तत्पश्चात समय 11-20 एएम पर परिवादी श्री रतनलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि रिश्तत राशि के 1,50,000/ रूपयों में से 1,00,000/ रूपये तो भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोट व 50,000/ रूपये आपको पूर्व में बताये अनुसार 500-500 रूपयों के डमी नोट साथ लेकर आया हूँ जो मेरे पास है। तत्पश्चात कार्यालय कक्ष में ही उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रतन लाल का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 17-09-2025 को दी गई रिपोर्ट गवाहान को पढ़ाई गई एवं दिनांक 18-09-2025 को रिश्तत राशि मांग सत्यापन रिकार्डशुदा वार्ता को लेपटाप के माध्यम से सुनाया गया। दोनों गवाहों ने परिवादी की रिपोर्ट को पढ़ा तथा रिकार्ड शुदा मांग सत्यापन वार्ता को सुन कर परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी की रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमती देते हुए परिवादी की रिपोर्ट पर दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय- 11-25 एएम पर रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व में शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका है जो कार्यालय हाजा के लेपटाप में सेव है उक्त टंकणिय शब्दों का मिलान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। जो वक्त 12-05 पीएम तक फर्द ट्रांसक्रिप्ट पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग वार्ता को कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से दो पैन ड्राइव में डालकर डब कापी तैयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यु निकाली गई तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में शील्ड किया गया तथा दोनों डब पैन ड्राइव को खुली हालत में रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय- 12-15 पीएम पर परिवादी श्री रतनलाल द्वारा आरोपी श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुन्दा पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली को रिश्तत में दी जाने वाली राशि एक लाख पचास हजार रूपये में से एक लाख रूपये जो 500-500 सौ रूपये के कुल 200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के व शेष पचास हजार रूपये जो 500-500 रूपयों के डमी नोट अपने पास से निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्तत राशि के एक लाख पचास हजार रूपये जिसमें से 50 हजार रूपये जो कि 500-500 रूपयों के 100 डमी नोट हैं तथा इन डमी नोटों की पहचान हेतु सभी 100 डमी नोटों पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के लघु हस्ताक्षर कर क्रम संख्या 201 से 300 तक निर्धारित कर डमी नोटों पर क्रमांक अंकन किया गया। कुल रिश्तत राशि में से एक लाख रूपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 500-500 रूपयों के कुल 200 नोटों के नंबर का विवरण तथा शेष रिश्तत राशि पचास हजार रूपयों के डमी नोट 500-500 रूपये के कुल 100 डमी नोटों पर अंकित डमी नंबरों व क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है- क्रम संख्या नोट का विवरण नोटों के सीरियल नंबर, 1 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2WS641312, 2 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RF883747, 3 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0AH554774, 4- एक नोट पांच सौ रूपये का 1LL535940, 5- एक नोट पांच सौ रूपये का 5RC290463, 6- एक नोट पांच सौ रूपये का 4EK709789, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 3NN695665, 8- एक नोट पांच सौ रूपये का 9CA566491, 9- एक नोट पांच सौ रूपये का 0BQ455357, 10 एक नोट पांच सौ रूपये का 4CF242410, 11 - एक नोट पांच सौ रूपये का 2DQ112637, 12 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FF596983, 13- एक नोट पांच सौ रूपये का 4VH770939, 14- एक नोट पांच सौ रूपये का 2PU648009, 15 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6TE116165, 16 एक नोट पांच सौ रूपये का 6VK861858, 17- एक नोट पांच सौ रूपये का 6TH114319, 18 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4NP172633, 19 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0TW832375, 20 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8RA318430, 21- एक नोट पांच सौ रूपये का 9CC652381, 22- एक नोट पांच सौ रूपये का 4TK461611, 23- एक नोट पांच सौ रूपये का 2EU310599, 24 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5SP780269, 25- एक नोट पांच सौ रूपये का 2CG497935, 26 एक नोट पांच सौ रूपये का 3UH908515, 27- एक नोट पांच सौ रूपये का 8GQ351019, 28 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5LK676444, 29- एक नोट पांच सौ रूपये का 9FA723668, 30 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6NR326421, 31 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0GS659041, 32 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2KH156513, 33 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2KH156512, 34 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2KH156514, 35 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3CD034210, 36 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3SV490662, 37 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6CP757483, 38- -एक नोट पांच सौ रूपये का 5MG715787, 39- एक नोट पांच सौ रूपये का 3FA759485, 40 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8VH303836, 41 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2BE447484, 42 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0SL236778, 43 एक नोट पांच सौ रूपये का 9EC162867, 44- एक नोट पांच सौ रूपये का 4GP559082, 45 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0UV928776, 46 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8BM062050, 47 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0MT185222, 48 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6VP873473, 49 एक नोट पांच सौ रूपये का 8PH898484, 50 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4DK369042, 51 एक नोट पांच सौ रूपये का 2UQ643133, 52 एक नोट पांच सौ रूपये का 4SL128325, 53- एक नोट पांच सौ रूपये का 9HQ186400, 54 एक नोट पांच सौ रूपये का 9PG385220, 55 -एक

नोट पांच सौ रुपये का 9MB486119,56 -एक नोट पांच सौ रुपये का 8CP689583,57 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9RV742342,58 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9GW021075,59 -एक नोट पांच सौ रुपये का 7AK258752,60 -एक नोट पांच सौ रुपये का 4SD279958,61 -एक नोट पांच सौ रुपये का 0QD176028,62 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819433,63 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819432,64 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819431,65 -एक नोट पांच सौ रुपये का 5KK077222,66 -एक नोट पांच सौ रुपये का 7PR603411, 67 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1KD529378, 68 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819429, 69 -एक नोट पांच सौ रुपये का 2HB462222, 70 -एक नोट पांच सौ रुपये का 6TR762142,71 -एक नोट पांच सौ रुपये का 0EU208476,72- एक नोट पांच सौ रुपये का 4RT173425,73- एक नोट पांच सौ रुपये का 9FV071335,74 -एक नोट पांच सौ रुपये का 8BC071133,75- एक नोट पांच सौ रुपये का 5LE701423, 76 -एक नोट पांच सौ रुपये का 3GN272216, 77- एक नोट पांच सौ रुपये का 3MR187416,78-एक नोट पांच सौ रुपये का 3TB873945,79 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1UK148296,80- एक नोट पांच सौ रुपये का 8CF773217,81 -एक नोट पांच सौ रुपये का 8HF280472,82 -एक नोट पांच सौ रुपये का 2WA845485,83- एक नोट पांच सौ रुपये का 8AE926407,84 -एक नोट पांच सौ रुपये का 5RH383990,85- एक नोट पांच सौ रुपये का 4FA044022,86- एक नोट पांच सौ रुपये का 8DW523377,87 -एक नोट पांच सौ रुपये का 4UP603120,88- एक नोट पांच सौ रुपये का 2VR786640,89 -एक नोट पांच सौ रुपये का 0DE257858,90 -एक नोट पांच सौ रुपये का 6SF425069,91 -एक नोट पांच सौ रुपये का 6ML704711,92- एक नोट पांच सौ रुपये का 8WC900012,93 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9RG301065,94 -एक नोट पांच सौ रुपये का 5CK826616,95 -एक नोट पांच सौ रुपये का 4CQ182253,96 -एक नोट पांच सौ रुपये का 7RL550686, 97-एक नोट पांच सौ रुपये का 0KE565087, 98-एक नोट पांच सौ रुपये का 5PW928121, 99-एक नोट पांच सौ रुपये का 4BH543819, 100-एक नोट पांच सौ रुपये का 1NL090518, 101- एकनोट पांच सौ रुपये का 8HW556480, 102-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PN907600, 103-एक नोट पांच सौ रुपये का 1AU292804, 104-एक नोट पांच सौ रुपये का 5RC253286, 105- एक नोट पांच सौ रुपये का 3HW250857, 106-एक नोट पांच सौ रुपये का 8GA634741, 107-एक नोट पांच सौ रुपये का 0NN419118, 108-एक नोट पांच सौ रुपये का 2ND853505, 109-एक नोट पांच सौ रुपये का 6WM344755, 110-एक नोट पांच सौ रुपये का 8NH201578, 111-एक नोट पांच सौ रुपये का 5BV114267, 112- एक नोट पांच सौ रुपये का 1KS056041, 113-एक नोट पांच सौ रुपये का 9GS365598, 114-एक नोट पांच सौ रुपये का 8SB008549, 115-एक नोट पांच सौ रुपये का 6DT800743, 116-एक नोट पांच सौ रुपये का 7QQ630199, 117-एक नोट पांच सौ रुपये का 5FA733348, 118-एक नोट पांच सौ रुपये का 2NV051162, 119- एक नोट पांच सौ रुपये का 2BR936174, 120-एक नोट पांच सौ रुपये का 0DA714919, 121-एक नोट पांच सौ रुपये का 4BW999820, 122-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PH945019, 123-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PH945018, 124- एक नोट पांच सौ रुपये का 6PH945017, 125-एक नोट पांच सौ रुपये का 4VW476726, 126-एक नोट पांच सौ रुपये का 4PF457865, 127-एक नोट पांच सौ रुपये का 8UE155652, 128-एक नोट पांच सौ रुपये का 2HV166802, 129-एक नोट पांच सौ रुपये का 4VU319386, 130-एक नोट पांच सौ रुपये का 3SC818611, 131- एक नोट पांच सौ रुपये का 1RG309672, 132-एक नोट पांच सौ रुपये का 7KL445439, 133- एक नोट पांच सौ रुपये का 0EG967734, 134-एक नोट पांच सौ रुपये का 0VF240921, 135-एक नोट पांच सौ रुपये का 2BD330717, 136-एक नोट पांच सौ रुपये का 8QE208739, 137-एक नोट पांच सौ रुपये का 1NG046290, 138- एक नोट पांच सौ रुपये का 3CL599678, 139- एक नोट पांच सौ रुपये का 5WU771199, 140-एक नोट पांच सौ रुपये का 8KD179254, 141-एक नोट पांच सौ रुपये का 1CA607534, 142-एक नोट पांच सौ रुपये का 7QB462125, 143-एक नोट पांच सौ रुपये का 1PC562901, 144-एक नोट पांच सौ रुपये का 3RH418617, 145- एक नोट पांच सौ रुपये का 2AR525270, 146-एक नोट पांच सौ रुपये का 2UD407961, 147-एक नोट पांच सौ रुपये का 7GW847260, 148-एक नोट पांच सौ रुपये का 1DG462641, 149-एक नोट पांच सौ रुपये का 2QS464552, 150-एक नोट पांच सौ रुपये का 0HB154589, 151-एक नोट पांच सौ रुपये का 8HL282061, 152-एक नोट पांच सौ रुपये का 6LQ985795, 153-एक नोट पांच सौ रुपये का 4VA620008, 154-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PB634889, 155-एक नोट पांच सौ रुपये का 0CL493610, 156-एक नोट पांच सौ रुपये का 1MS837943, 157- एक नोट पांच सौ रुपये का 2DW243187, 158-एक नोट पांच सौ रुपये का 5TU248699, 159-एक नोट पांच सौ रुपये का 1RD329880, 160-एक नोट पांच सौ रुपये का 1AQ951384, 161-एक नोट पांच सौ रुपये का 2KP076035, 162-एक नोट पांच सौ रुपये का 6UW937529, 163-एक नोट पांच सौ रुपये का 6BT316710, 164- एक नोट पांच सौ रुपये का 6AP112272, 165-एक नोट पांच सौ रुपये का 6SC444437,166-एक नोट पांच सौ रुपये का 0WH527308, 167-एक नोट पांच सौ रुपये का 3HK754503, 168-एक नोट पांच सौ रुपये का 8MQ808572, 169-एक नोट पांच सौ रुपये का 9LE709980, 170-एक नोट पांच सौ रुपये का 6BS094691, 171-एक नोट पांच सौ

8

का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 254-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 255-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 256-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 257-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 258-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 259-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 260-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 261-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 262-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 263-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 264-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 265-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 266-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 267-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 268-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 269-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 270-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 271-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 272-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 273-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 274-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 275-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 276-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 277-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 278-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 279-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 280-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 281-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 282-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 283-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 284-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 285-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 286-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 287-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 288-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 289-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 290-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 291-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 292-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 293-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 294-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 295-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 296-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 297-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 298-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 299-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 300-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 उपरोक्त नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगवाने हेतु कार्यालय हाजा के मालखाना से श्री पूनाराम कानि0 नंबर 165 से फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये रिश्त राशि के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों व डमी नोटों पर उक्त फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे में से फिनोफथलीन पाउडर निकालकर एक अखबार पर रखवाया जाकर श्री पूनाराम कानि0 से ही रिश्त राशि के नोटों पर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रतनलाल की जामा तलाशी गवाह श्री प्रशान्त कुमार से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्ति जनक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए गये तथा परिवादी के पास उसका मोबाईल उसके पास ही रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर लगे रिश्त राशि 1,50,000/- रुपये के नोटों व डमी नोटों को परिवादी श्री रतनलाल के पहने हुए पेंट की आगे की बांयी जेब में श्री पूनाराम कानि0 से ही रखवाये गये। परिवादी श्री रतनलाल को समझाईस की गई कि रिश्त राशि को हाथ नहीं लगावे तथा आरोपी श्री अरूण कुमार प्रशासक द्वारा मांगने पर ही रिश्त राशि निकाल कर उसे देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री अरूण कुमार द्वारा रिश्त राशि प्राप्त करने के बाद वह रिश्त राशि को कहा रखता है अथवा छुपाता है इस बात का विशेष ध्यान रखे। रिश्त राशि श्री अरूण कुमार द्वारा प्राप्त करने के पश्चात मन खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या श्री भवानी सिंह हैड कानि के मोबाईल नंबर [REDACTED] पर काल या मिस काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स में से प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास मंगवाया जाकर गिलास में साफ पानी भरवाया गया तथा उसमें एक चम्मच सोडियम

कार्बोनेट पाउडर डालकर घौल तैयार करवाया जाकर गवाह व परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल में रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री पूनाराम कानि⁰ के हाथों की अंगुलियों व अंगुठों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात सभी हाजरिन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों के हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलवाने पर घौल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में सभी को भली भाँति समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा श्री पूनाराम कानि⁰ के पास से पुनः कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाया गया तथा श्री पूनाराम कानि⁰ को इस ट्रेप कार्यवाही से अलग रखा जाकर कार्यालय हाजा पर ही निगरानी हेतु छोड़ा गया। तत्पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथों व ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री आदि को भी साथ पानी व साबुन से दो दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु, दस्तावेज, एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल के सदस्य एवं गवाहान का अपना अपना मोबाईल स्वयं के पास रहने दिया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहाँ तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत राशि लेन देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वत राशि के नंबरी नोटों व डमी नोटों एवं दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर प्रथक से तैयार कर फर्द में विस्तृत विवरण अंकित कर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 01-35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई, परिवादी श्री रतनलाल, स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार व श्री भवानी सिंह हैड कानि, मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एवं अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री प्रमोद सिंह कानि नंबर 304 व श्री सतपाल कानि नंबर 294 व श्रीमती कोशलया महिला कानि नंबर 314 व श्री कुलदीप सिंह कानि, स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत कुमार एवं श्री नारायण सिंह कानि चालक मय ट्रेप बोक्स लैपटाप प्रिंटर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के अग्रिम कार्यवाही हेतु जैतपुरा चौराहा के लिए रवाना हुए तथा रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री पुनाराम कानि को कार्यालय हाजा में ही छोड़ा गया। तत्पश्चात समय- 02-35 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ट्रेप दल के सदस्यों एवं परिवादी सहित हमराह वाहनों के जैतपुरा चौराहा से पहले कराडी तिराहे पर पहुंचा जहाँ पर दोनो वाहनों को साईड में खड़ा कर परिवादी से एसओ की उपस्थिति के बारे में जानकारी हेतु एसओ के मोबाईल पर काल करवाना चाहा तो एसओ का फोन बंद आया जिस पर कराडी तिराहे के आस पास ही गोपनीय रूप से मुकीम रहे। तत्पश्चात समय- 05-40 पीएम पर एसओ के उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होने व एसओ का मोबाईल लगातार बंद आने से एसओ की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी जिस पर आज दिनांक को रिश्वत राशि का लेन देन होना संभव नहीं होने से आईदा एसओ की उपस्थिति के बारे में जानकारी पश्चात आईदा अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री रतनलाल के पेंट की जेब में रखवाई गई फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि हमराह गवाह श्री विनोद कुमार से परिवादी की पेंट की जेब से निकलवाकर कागज के लिफाफे में रखवाई जाकर स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई तत्पश्चात परिवादी को आवश्यक हिदायत कर निर्देशित किया कि एसओ का यदि मोबाईल पर फोन काल आवे तो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री भवानी सिंह हैड कानि अवगत करावे। तत्पश्चात परिवादी को कराडी तिराहे पर ही रुखासत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय वाहनों एवं हमरा ले गये आवश्यक सामग्री उपकरण एवं ट्रेप बाक्स सहित कराडी तिराहे से ब्यूरो कार्यालय पाली के लिए रवाना हुआ तत्पश्चात समय- 06-45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय वाहनों एवं आवश्यक सामग्री उपकरण ट्रेप बाक्स सहित कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। गवाह श्री विनोद कुमार के पास लिफाफे में रखवाई गई फिनोफथलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को लिफाफे सहित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की अलमारी में रखवाई जाकर तालाबंद कर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में रखी गई तत्पश्चात गवाह श्री विनोद कुमार के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात दोनो गवाहों को गोपनीयता की हिदायत कर आयोजित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह हेतु आईदा तलब करने पर शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने के लिए निर्देशित कर अपने अपने सकूनत को रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक- 27-09-2025 समय- 11-20 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री भवानी सिंह हैड कानि ने बताया कि परिवादी श्री रतनलाल का मेरे पास फोन आया था तथा बताया कि कल दिनांक 28-09-2025 को श्री अरूण कुमार प्रशासक ने मुझे मेरे पुत्र के मकान का पट्टा बनाने के रुपये लेकर बुलाया है तथा कल श्री अरूण कुमार जैतपुरा चौराहे पर

बुलाया है। साथ ही बताया कि आप जब पाली से रवाना हो तब मुझे फोन करके बता देना मैं कराडी तिराहे पर मेरी मोटरसाईकिल सहित आपको उपस्थित मिला जाऊंगा। परिवादी के बताये अनुसार कल दिनांक 28-09-2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से कल दिनांक 28-09-2025 को सुबह 08-00 एएम पर समस्त ब्यूरो स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद किया गया। तत्पश्चात दिनांक- 28-09-2025 समय- 08-00 एएम को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से पूर्व के पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह एवं समस्त ब्यूरो स्टाफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय- 10-05 एएम पर फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि जो कार्यालय हाजा की अलमारी में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में तालाबंद है जिसे स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार से लिफाफे सहित अलमारी से निकलवाई जाकर श्री विनोद कुमार के पास ही रहने दी गई तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई, स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार मय रिश्वत राशि का लिफाफा, श्री सतपाल कानि नंबर 294 व श्री भवानी सिंह हैड कानि, मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एवं अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री प्रमोद सिंह कानि नंबर 304 व श्रीमती कोशल्या महिला कानि नंबर 314 व श्री कुलदीप सिंह कानि, स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत कुमार एवं श्री नारायण सिंह कानि चालक मय ट्रेप बॉक्स लैपटाप प्रिंटर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के अग्रिम कार्यवाही हेतु जैतपुरा चौराहा के लिए रवाना हुए तथा परिवादी को जरिये टेलीफोन कराडी तिराहे पर मिलने के लिए निर्देशित किया। तत्पश्चात समय- 11-10 एएम पर मन अतिरिक्त अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का उपरोक्त हमराहयान के रवाना शुदा कराडी तिराहे पर पहुंचा जहां पर पूर्व का निर्देशानुसार परिवादी श्री रतन लाल अपनी मोटरसाईकिल सहित कराडी तिराहे पर उपस्थित मिला। तत्पश्चात तिराहे पर दोनो वाहनों को साईड में खड़ा करवाया जाकर परिवादी श्री रतनलाल को मन अतिरिक्त के निजी वाहन में बैठाकर एसओ श्री अरूण कुमार की उपस्थित की जानकारी हेतु परिवादी से श्री अरूण कुमार के मोबाईल पर काल करवाकर वार्ता करवायी तो अरूण कुमार ने घंटे भर में जैतपुरा चौराहे पर आने का कहा। वार्ता पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री अरूण कुमार जैतपुरा चौराहे पर आकर चौराहे पर स्थित श्रीराम भोजनालय में मेरे से मिलेगा तथा भोजनालय के अंदर ही वो मेरे से रिश्वत राशि के रुपये प्राप्त करेगा तथा श्री अरूण कुमार, श्रीराम भोजनालय पर आते ही मुझे काल करके बुला लेगा। तत्पश्चात परिवादी श्री रतनलाल की तलाशी हमराह स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत कुमार से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा कोई आपतिजनक राशि एवं दस्तावेजात नहीं रहने दिये जाकर फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि का लिफाफा जो कार्यालय से रवाना होते समय स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार के पास सुरक्षित रखवाया हुआ है उस लिफाफे में से श्री विनोद कुमार से ही फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि को निकलवाकर परिवादी श्री रतनलाल के पहनी हुई पेंट की आगे की बांयी जेब में रखवाया गया तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर युक्त रखी रिश्वत राशि के लिफाफे को श्री विनोद कुमार से ही जलाया जाकर नष्ट करवाया गया तत्पश्चात गवाह श्री विनोद कुमार के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया एवं परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप दल के सदस्यों ने भी अपने अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि को हाथ नहीं लगावे तथा आरोपी श्री अरूण कुमार के मांगने पर ही अपनी जेब से निकालकर देवे तथा रिश्वत राशि का लेन देन होने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर या श्री भवानी सिंह हैड कानि के मोबाईल पर काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत राशि का आदान प्रदान जैतपुरा चौराहे पर स्थित श्रीराम भोजनालय के अंदर होने से एसओ के आने से पूर्व ट्रेप दल द्वारा एसओ को दस्तयाब/निगरानी हेतु गोपनीय रूप से श्रीराम भोजनालय के आस पास मुकीम रहने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री भवानी सिंह हैड कानि को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री रतनलाल के मोबाईल पर एसओ का फोन आने पर कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर लेन देन वार्ता रिकार्ड हेतु परिवादी को सुपुर्द करे तथा एसओ का फोन आने तक गोपनीय रूप से जैतपुरा चौराहे के आस पास ही परिवादी के साथ मुकीम रहे। तत्पश्चात श्री सतपाल कानि व श्री भवानी सिंह हैड कानि को कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री रतनलाल के साथ रिश्वत राशि आदान प्रदान करने के लिए जैतपुरा चौराहे की तरफ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत कुमार, श्री विनोद कुमार, व ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री कुलदीप सिंह, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से जैतपुरा चौराहे पर स्थित श्रीराम भोजनालय के आस पास मुकीम रहने के लिए कराडी चौराहे से रवाना हुआ तथा सरकारी वाहन में मौजूद शेष ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री प्रमोद सिंह कानि नंबर 304, श्रीमती कोशल्या महिला कानि नंबर 314 एवं श्री नारायण सिंह कानि चालक मय ट्रेप बॉक्स लैपटाप प्रिंटर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित जैतपुरा चौराहे के आस पास ही गोपनीय रूप से आगामी निर्देशों की पालना में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात समय- 11-40 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहयान के जैतपुरा चौराहे पर स्थित श्री राम भोजनालय पहुंचा जहां पर श्री कुलदीप सिंह कानि व स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत कुमार को श्रीराम भोजनालय में रिश्वत राशि लेन देन के ईशारे में मुकीम रहने के लिए रवाना कर मन अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक मय श्री लक्ष्मण दान एएसआई व स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार श्रीराम भोजनालय के सामने स्थित वर्कशाप एवं चाय की दुकान पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाहन को साईड में खड़ा कर रिश्तत राशि लेन देन के ईशारे के इंतजार में मुकीम रहा। तत्पश्चात समय- 02-10 पीएम पर श्री राम भोजनालय के आगे एक व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल सहित आकर रूका तथा फोन पर वार्ता करने लगा जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमरा ट्रेप दल के सदस्यों ने भी देखा। वह व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल को श्रीराम भोजनालय के आगे खड़ी श्री राम भोजनालय के अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गया इतने में श्री भवानी सिंह हैड कानि ने जरिये टेलिफोन सूचना दी कि एसओ का परिवादी के मोबाईल पर फोन आया है तथा वह परिवादी को श्रीराम भोजनालय बुला रहा है। जिस पर मैंने परिवादी को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर श्रीराम भोजनालय के अंदर एसओ से मिलने के लिए रवाना कर दिया तथा मैं व सतपाल कानि श्रीराम भोजनालय के सामने स्थित चाय की दूकान पर ईशारे के इंतजार में खड़े हैं। तत्पश्चात वक्त 02-33 पीएम पर परिवादी श्री रतन लाल ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह, श्री लक्ष्मण दान एएसआई स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार, श्री भवानी सिंह हैड कानि व श्री सतपाल कानि अपने अपने मुकीम स्थान से रवाना होकर जैतपुर चौराहा से मारवाड ज की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित श्री राम भोजनालय के बाहर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री रतनलाल उपस्थित मिला जिसको पूर्व में दिया हुआ डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में रखा तत्पश्चात श्री राम भोजनालय के अंदर छपरे के नीचे पहुंचा जहां पर रिश्तत राशि आदान प्रदान होने के ईशारे के इंतजार में पूर्व से ही मुकीम शुदा ब्यूरो स्टाफ श्री कुलदीप सिंह कानि व स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त कुमार द्वारा आरोपी श्री अरूण कुमार को दस्तयाब किये हुए मिले। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री अरूण कुमार के दोनों हाथों को सुरक्षा की दृष्टि से कलाई के उपर से गवाह श्री प्रशान्त कुमार व ब्यूरो स्टाफ श्री कुलदीप सिंह से पकड़वाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री रतनलाल को पूछने पर उसने बताया कि श्री अरूण कुमार ने रिश्तत राशि के रूपये मेरे से लेकर अपने पहने हुए पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखे हैं। तत्पश्चात इस संबंध में अरूण कुमार से पुछा तो उसने परिवादी श्री रतनलाल से प्राप्त किये रिश्तत राशि के रूपये अपने पेंट की आगे की दाहिनी जेब में होना बताया। इसी दौरान अन्य ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री प्रमोद सिंह कानि, श्री मती कौशल्या म कानि, व श्री नारायण सिंह कानि चालक मय सरकारी वाहन एवं ट्रेप बाक्स एवं आवश्यक सामग्री सहित जो कि सरकारी वाहन में गोपनीय स्थान पर ईशारे के इंतजार में मुकीम थे निर्देशानुसार घटना स्थल श्रीराम भोजनालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात रिश्तत राशि आदान प्रदान होने का घटना स्थल जो कि एक सार्वजनिक स्थान होने से भीड़ भाड़ होने की संभावना के मददेनजर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित अग्रिम हाथ धोवन एवं बरामदगी की कार्यवाही पुलिस चौकी आउवा में संपादित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री अरूण कुमार के दोनों हाथों को कलाई के उपर से हमराह स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त कुमार व ब्यूरो स्टाफ श्री कुलदीप सिंह से पकड़वाये हुए ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन में बैठाया जाकर समस्त ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर सरकारी वाहन सहित पुलिस चौकी आउवा पहुंचा तथा परिवादी श्री रतनलाल भी निर्देशानुसार घटना स्थल से रवाना होकर पुलिस चौकी आउवा वक्त 02-39 पीएम पर पहुंचा। जहां पर उपस्थित चौकी प्रभारी अरविंद सिंह राजपुरोहित सहायक उप निरीक्षक से ट्रेप कार्यवाही से संबंधित अग्रिम कार्यवाही पुलिस चौकी आउवा में संपादित करने के लिए एक कक्ष उपलब्ध करवाने का कहा तो चौकी प्रभारी ने चौकी में स्थित कम्प्यूटर कक्ष को उपलब्ध करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही संपादित करने की मौखिक अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दस्तयाब शुदा श्री अरूण कुमार प्रशासक के दोनों हाथों को कलाई के उपर से सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त कुमार व श्री कुलदीप सिंह कानि से पकड़वाये हुए ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से उतारकर पुलिस चौकी आउवा में स्थित कम्प्यूटर कक्ष में उपस्थित आये तत्पश्चात श्री अरूण कुमार प्रशासक के हाथ धोवन की कार्यवाही हेतु ट्रेप बाक्स व विडियो रिकार्डर मंगवाया जाकर अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए इस कार्यवाही की विडियो ग्राफी हेतु श्री सतपाल कानि को निर्देशित कर कार्यालय हाजा का विडियो रिकार्डर जिसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर विडियो रिकार्डर चालू करवाया गया तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहयान व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए आने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दस्तयाब शुदा श्री अरूण कुमार प्रशासक (उप सरपंच) को उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम अरूण कुमार पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 48 साल निवासी गांव जैतपुरा पुलिस थाना मारवाड जक्शन तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली राजस्थान हाल प्रशासक (उप सरपंच) ग्राम पंचायत जाणुंदा पंचायत समिती मारवाड जक्शन जिला पाली राजस्थान होना बताया। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री रतनलाल की तरफ ईशारा कर श्री रतनलाल को पहचानने के बारे में पुछा तो श्री अरूण कुमार प्रशासक ने बताया कि मैं इसे जानता हूं यह रतनलाल है जिसको मैं पहले तो नहीं जानता था लेकिन जब से मेरे पास पट्टे के लिए आया तब से जानता हूं तथा स्थायी कहां का है मुझे जानकारी नहीं है लेकिन अभी यह आउवा में रह रहा है। इसने जैतपुरा में अपना मकान लिया है। तत्पश्चात श्री अरूण कुमार को परिवादी श्री रतनलाल से आज दिनांक 28-09-2025 को जैतपुरा चौराहे से मारवाड जक्शन की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित श्रीराम भोजनालय में प्राप्त की गई रिश्तत राशि के बारे में पुछने पर बताया कि इसने आज मुझे बुलाकर श्री राम भोजनालय में रूपये दिये हैं वो रूपये मेरे पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में हैं।

तत्पश्चात श्री अरूण कुमार को परिवादी श्री रतनलाल से रूपये किस बात के लिए लिये इस बारे में पुछने पर बताया कि मैंने इनसे इनके मकान का पट्टा देने की एवज में डीएलसी के लिए है। जिस पर श्री अरूण कुमार को पुछा कि कितनी डीएलसी है तो बताया कि डीएलसी के बारे में ग्राम सेवक से निकलवाकर मैं रूपये ग्राम सेवक से जमा करवाता। जिस पर श्री अरूण कुमार को पुछा कि डीएलसी कौन जमा करवाता है आपके पास कोई रसीद बुक नहीं तथा ना ही कोई रसीद आदि भी आपने परिवादी श्री रतनलाल को दी है आपने बिना डीएलसी की गणना किये ही किसी आधार पर परिवादी से रूपये लिये है। जिस पर आरोपी श्री अरूण कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया और निरुत्तर रहे। तत्पश्चात पास ही खड़े परिवादी श्री रतनलाल ने बताया कि मेरे पुत्र मुरलीधर के नाम से मकान का पट्टा बनाने के लिए इनसे मिला तो इन्होंने मेरे से पट्टा बनाने की एवज में रूपये मांगे जिसमें से एक लाख पचास हजार रूपये इन्होंने आज मेरे से लिए है। तत्पश्चात प्रक्रिया अनुसार हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए हमारा लाये ट्रेपबाक्स में से प्लास्टिक के बड़े पारदर्शी दो गिलास निकालकर दोनों गिलासों में पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त दोनों गिलास में एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थित गण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल अलग अलग गिलास के रंगहीन घोल में श्री अरूण कुमार के अलग अलग हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर दाहिने हाथ के धोवन का रंग गहरा गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का मटमैला झाँईदार हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी क्रमशः गहरा गुलाबी व हल्का मटमैला झाँईदार होना स्वीकार किया उक्त दोनों हाथ के धोवन को अलग अलग काँच की चार शीशियों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर अलग अलग हाथों का विवरण व कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क आरएच -1 व आरएच -2 तथा एलएच -1 व एलएच -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारों शीशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री अरूण कुमार द्वारा रिश्तत राशि परिवादी से प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट के आगे की दाहिनी जेब में रखी होना बताये जाने पर रिश्तत राशि बरामद हेतु श्री अरूण कुमार पहनी हुई पेंट के आगे की दाहिनी जेब की तलाशी ब्यूरो स्टाफ श्री भवानी सिंह हैड कानि से लिवाई गई तो श्री अरूण कुमार के पहनी हुई पेंट के आगे की दाहिनी जेब में नोटों के तीन बंडल पाये गये तथा नोटों के बण्डल के साथ ही एक सफेद कपड़े का रूमाल (हैंकर चीफ) भी पाया गया। उक्त नोटों के बंडलों को बाहर निकलवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के खूबखू श्री भवानी सिंह हैड कानि व श्री लक्ष्मण दान एसआई से पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्तत राशि से नंबरी नोटों के नंबरो का मिलान एवं डमी नोटों के क्रमांक एवं दोनों गवाहों एवं परिवादी के लघु हस्ताक्षरों को चैक करवाया गया तो नंबरी नोटों के नंबरो का मिलान व डमी नोटों पर परिवादी व गवाहान के लघु हस्ताक्षर होना एवं डमी नोटों पर क्रमांक संख्या 201 से 300 तक मुताबिक फर्द पेशकशी के हुबहु होना पाया गया। नंबरी नोटों के नंबरो व डमी नोटों के क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या नोट का विवरण नोटों के सीरियल नंबर, 1 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2WS641312, 2 एक नोट पांच सौ रूपये का 6RF883747, 3 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0AH554774, 4- एक नोट पांच सौ रूपये का 1LL535940, 5- एक नोट पांच सौ रूपये का 5RC290463, 6- एक नोट पांच सौ रूपये का 4EK709789, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 3NN695665, 8- एक नोट पांच सौ रूपये का 9CA566491, 9- एक नोट पांच सौ रूपये का 0BQ455357, 10 एक नोट पांच सौ रूपये का 4CF242410, 11 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2DQ112637, 12 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FF596983, 13- एक नोट पांच सौ रूपये का 4VH770939, 14- एक नोट पांच सौ रूपये का 2PU648009, 15 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6TE116165, 16 एक नोट पांच सौ रूपये का 6VK861858, 17- एक नोट पांच सौ रूपये का 6TH114319, 18 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4NP172633, 19 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0TW832375, 20 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8RA318430, 21- एक नोट पांच सौ रूपये का 9CC652381, 22- एक नोट पांच सौ रूपये का 4TK461611, 23- एक नोट पांच सौ रूपये का 2EU310599, 24 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5SP780269, 25- एक नोट पांच सौ रूपये का 2CG497935, 26 एक नोट पांच सौ रूपये का 3UH908515, 27- एक नोट पांच सौ रूपये का 8GQ351019, 28 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5LK676444, 29- एक नोट पांच सौ रूपये का 9FA723668, 30 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6NR326421, 31 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0GS659041, 32 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2KH156513, 33 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2KH156512, 34 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2KH156514, 35 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3CD034210, 36 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3SV490662, 37 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6CP757483, 38- -एक नोट पांच सौ रूपये का 5MG715787, 39- एक नोट पांच सौ रूपये का 3FA759485, 40 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8VH303836, 41 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2BE447484, 42 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0SL236778, 43 एक नोट पांच सौ रूपये का 9EC162867, 44- एक नोट पांच सौ रूपये का 4GP559082, 45 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0UV928776, 46 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8BM062050, 47 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0MT185222, 48 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6VP873473, 49 एक नोट पांच सौ रूपये का 8PH898484, 50 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4DK369042, 51 एक नोट पांच सौ रूपये का 2UQ643133, 52 एक नोट पांच सौ रूपये का 4SL128325, 53- एक नोट पांच सौ रूपये का 9HQ186400, 54 एक नोट पांच सौ रूपये का

9PG385220,55 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9MB486119,56 -एक नोट पांच सौ रुपये का 8CP689583,57 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9RV742342,58 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9GW021075,59 -एक नोट पांच सौ रुपये का 7AK258752,60 -एक नोट पांच सौ रुपये का 4SD279958,61 -एक नोट पांच सौ रुपये का 0QD176028,62 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819433,63 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819432,64 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819431,65 -एक नोट पांच सौ रुपये का 5KK077222,66 -एक नोट पांच सौ रुपये का 7PR603411, 67 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1KD529378, 68 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1HU819429, 69 -एक नोट पांच सौ रुपये का 2HB462222, 70 -एक नोट पांच सौ रुपये का 6TR762142,71 -एक नोट पांच सौ रुपये का 0EU208476,72- एक नोट पांच सौ रुपये का 4RT173425,73- एक नोट पांच सौ रुपये का 9FV071335,74 -एक नोट पांच सौ रुपये का 8BC071133,75- एक नोट पांच सौ रुपये का 5LE701423, 76 -एक नोट पांच सौ रुपये का 3GN272216, 77- एक नोट पांच सौ रुपये का 3MR187416,78-एक नोट पांच सौ रुपये का 3TB873945,79 -एक नोट पांच सौ रुपये का 1UK148296,80- एक नोट पांच सौ रुपये का 8CF773217,81 -एक नोट पांच सौ रुपये का 8HF280472,82 -एक नोट पांच सौ रुपये का 2WA845485,83- एक नोट पांच सौ रुपये का 8AE926407,84 -एक नोट पांच सौ रुपये का 5RH383990,85- एक नोट पांच सौ रुपये का 4FA044022,86- एक नोट पांच सौ रुपये का 8DW523377,87 -एक नोट पांच सौ रुपये का 4UP603120,88- एक नोट पांच सौ रुपये का 2VR786640,89 -एक नोट पांच सौ रुपये का 0DE257858,90 -एक नोट पांच सौ रुपये का 6SF425069,91 -एक नोट पांच सौ रुपये का 6ML704711,92- एक नोट पांच सौ रुपये का 8WC900012,93 -एक नोट पांच सौ रुपये का 9RG301065,94 -एक नोट पांच सौ रुपये का 5CK826616,95 -एक नोट पांच सौ रुपये का 4CQ182253,96 -एक नोट पांच सौ रुपये का 7RL550686, 97-एक नोट पांच सौ रुपये का 0KE565087, 98-एक नोट पांच सौ रुपये का 5PW928121, 99-एक नोट पांच सौ रुपये का 4BH543819, 100-एक नोट पांच सौ रुपये का 1NL090518, 101- एकनोट पांच सौ रुपये का 8HW556480, 102- एक नोट पांच सौ रुपये का 6PN907600, 103-एक नोट पांच सौ रुपये का 1AU292804, 104-एक नोट पांच सौ रुपये का 5RC253286, 105-एक नोट पांच सौ रुपये का 3HW250857, 106-एक नोट पांच सौ रुपये का 8GA634741, 107-एक नोट पांच सौ रुपये का 0NN419118, 108-एक नोट पांच सौ रुपये का 2ND853505, 109-एक नोट पांच सौ रुपये का 6WM344755, 110-एक नोट पांच सौ रुपये का 8NH201578, 111-एक नोट पांच सौ रुपये का 5BV114267, 112-एक नोट पांच सौ रुपये का 1KS056041, 113-एक नोट पांच सौ रुपये का 9GS365598, 114- एक नोट पांच सौ रुपये का 8SB008549, 115-एक नोट पांच सौ रुपये का 6DT800743, 116-एक नोट पांच सौ रुपये का 7QQ630199, 117-एक नोट पांच सौ रुपये का 5FA733348, 118-एक नोट पांच सौ रुपये का 2NV051162, 119- एक नोट पांच सौ रुपये का 2BR936174, 120-एक नोट पांच सौ रुपये का 0DA714919, 121-एक नोट पांच सौ रुपये का 4BW999820, 122-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PH945019, 123-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PH945018, 124-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PH945017, 125-एक नोट पांच सौ रुपये का 4VW476726, 126- एक नोट पांच सौ रुपये का 4PF457865, 127-एक नोट पांच सौ रुपये का 8UE155652, 128-एक नोट पांच सौ रुपये का 2HV166802, 129-एक नोट पांच सौ रुपये का 4VU319386, 130-एक नोट पांच सौ रुपये का 3SC818611, 131- एक नोट पांच सौ रुपये का 1RG309672, 132-एक नोट पांच सौ रुपये का 7KL445439, 133- एक नोट पांच सौ रुपये का 0EG967734, 134-एक नोट पांच सौ रुपये का 0VF240921, 135-एक नोट पांच सौ रुपये का 2BD330717, 136-एक नोट पांच सौ रुपये का 8QE208739, 137-एक नोट पांच सौ रुपये का 1NG046290, 138- एक नोट पांच सौ रुपये का 3CL599678, 139- एक नोट पांच सौ रुपये का 5WU771199, 140-एक नोट पांच सौ रुपये का 8KD179254, 141-एक नोट पांच सौ रुपये का 1CA607534, 142-एक नोट पांच सौ रुपये का 7QB462125, 143-एक नोट पांच सौ रुपये का 1PC562901, 144-एक नोट पांच सौ रुपये का 3RH418617, 145- एक नोट पांच सौ रुपये का 2AR525270, 146-एक नोट पांच सौ रुपये का 2UD407961, 147-एक नोट पांच सौ रुपये का 7GW847260, 148-एक नोट पांच सौ रुपये का 1DG462641, 149-एक नोट पांच सौ रुपये का 2QS464552, 150-एक नोट पांच सौ रुपये का 0HB154589, 151-एक नोट पांच सौ रुपये का 8HL282061, 152-एक नोट पांच सौ रुपये का 6LQ985795, 153-एक नोट पांच सौ रुपये का 4VA620008, 154-एक नोट पांच सौ रुपये का 6PB634889, 155-एक नोट पांच सौ रुपये का 0CL493610, 156-एक नोट पांच सौ रुपये का 1MS837943, 157- एक नोट पांच सौ रुपये का 2DW243187, 158-एक नोट पांच सौ रुपये का 5TU248699, 159-एक नोट पांच सौ रुपये का 1RD329880, 160-एक नोट पांच सौ रुपये का 1AQ951384, 161-एक नोट पांच सौ रुपये का 2KP076035, 162-एक नोट पांच सौ रुपये का 6UW937529, 163-एक नोट पांच सौ रुपये का 6BT316710, 164- एक नोट पांच सौ रुपये का 6AP112272, 165-एक नोट पांच सौ रुपये का 6SC444437,166-एक नोट पांच सौ रुपये का 0WH527308, 167-एक नोट पांच सौ रुपये का 3HK754503, 168-एक नोट पांच सौ रुपये का 8MQ808572, 169-एक नोट पांच सौ रुपये का 9LE709980, 170-एक नोट पांच सौ रुपये का 6BS094691, 171-एक नोट पांच सौ

15

254-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 255-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 256-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 257-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 258-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 259-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 260-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 261-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 262-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 263-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 264-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 265-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 266-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 267-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 268-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 269-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 270-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 271-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 272-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 273-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 274-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 275-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 276-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 277-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 278-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 279-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 280-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 281-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 282-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 283-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 284-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 285-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 286-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 287-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 288-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 289-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 290-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 291-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 292-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 293-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 294-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 295-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 296-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 297-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 298-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 299-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000, 300-एक पांच सौ रुपये का डमी नोट जिसके क्रमांक व डमी नंबर 0AA000000 उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 1,50,000/- रुपये के नंबरी नोट व डमी नोट को कागज के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क-आर अंकित किया गया तथा थैली पर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। श्री अरूण कुमार द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखी जहां से रूबरू गवाहान बरामद होने से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेंट की आगे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री अरूण कुमार के पहनने हेतु एक लोवर की व्यवस्था कर पेंट को उतरवाया गया। तत्पश्चात पेंट की जेब का धोवन लेने के लिए प्लास्टिक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थित गण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी अरूण कुमार के पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उलटवाकर डुबो डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने गिलास के घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल को अलग अलग कांच की दो शिशियों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क पी -1 व पी -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनों शिशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री अरूण कुमार के पहनी हुई पेंट जिसके आगे की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त पेंट कार्यवाही में वजह सबूत होने से पेंट को चेक किया गया तो पेंट की जेब में कोई आपत्तिजनक वस्तु, दस्तावेजात व रुपये आदि नहीं पाये गये। उक्त पेंट की आगे की दाहिनी जेब को सुखाकर जेब पर

संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपड़े की थैली में सीलड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क-पी अंकित किया गया। उक्त पेंट वजह सबूत होने से उक्त सीलड शुदा पैकेट को कब्जा ब्यूरो लिया गया। श्री अरूण कुमार के पहनी हुई पेंट के आगे की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब में रिश्वत राशि के साथ ही कपड़े का सफेद रंग का एक रूमाल (हैंकर चीफ) मिला उक्त रूमाल का भी धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्लास्टिक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी अरूण कुमार के पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में मिले उक्त रूमाल को डुबो डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने गिलास के घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल को अलग अलग कांच की दो शिशियों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क एच -1 व एच -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनों शिशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात उक्त रूमाल भी वजह सबूत होने से रूमाल को कपड़े की थैली में सीलड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क- एच अंकित किया गया। उक्त सीलड शुदा रूमाल के पैकेट को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा को परिवादी के पुत्र के मकान का पट्टा पत्रावली के बारे में पुछने पर बताया कि इसकी पट्टा पत्रावली पंचायत में है जो ईमित्र वाले की जानकारी में है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परिवादी के पुत्र की पट्टा पत्रावली प्रस्तुत करने बाबत विकास अधिकारी मारवाड जक्शन श्री भागीरथ सिंह को जरिये टेलिफोन तलब किया गया जो उपस्थित आये। श्री भागीरथ सिंह विकास अधिकारी को पट्टे की डीएलसी के संबंध में पुछा गया तो बताया कि आबादी क्षेत्र में स्थित किसी भी पुराने बने मकान का पट्टा बनाने की सरकारी फीस यदि मकान पचास साल के भीतर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गगज से कम है तो इस क्षेत्रफल के मकान का पट्टा बनाने की फीस मात्र दो सौ रुपये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है तथा इस प्रकार के निर्मित मकान की किसी प्रकार की डीएलसी नहीं लगती है। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन के वक्त डिजिटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई हुई वार्ता को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर सुना गया तो लेन देन के वक्त की वार्ता में रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट प्रथक से तैयार करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। श्री अरूण कुमार प्रशासक का मोबाईल वीवो टी 2 एक्स 5जी मोडल वी 2253 जिसमें सीम वन मोबाईल नंबर 6375393169 (मोबाईल पासवर्ड 123456) जो अनुसंधान में वांछित होने से खुली हालत में ही रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा पंचायत समिती मारवाड जक्शन जिला पाली राज द्वारा परिवादी श्री रतन लाल के पुत्र श्री मुरलीधर के जैतपुरा स्थित मकान का पट्टा देने की एवज में दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि के रूप में 2,70,000/-रुपयों की मांग करते हुए पहले 1,50,000/ रुपये तथा पट्टा बनने के बाद पट्टा सुपुर्द करने पर शेष राशि 1,20,000/ रुपये देना तय हुआ जिसके अनुसरण में आज दिनांक 28-09-2025 को पूर्व तशशुदा राशि 1,50,000/ रुपये (1,00,000/- रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा व 50,000/- रुपये के डमी नोट) प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखे जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री अरूण कुमार पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 48 साल निवासी गांव जैतपुरा पुलिस थाना मारवाड जक्शन तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली राजस्थान हाल प्रशासक (उप सरपंच) ग्राम पंचायत जाणुंदा पंचायत समिती मारवाड जक्शन जिला पाली राजस्थान को उसके द्वारा किये गये जुर्म से जरिये फर्द प्रथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही से संबंधित फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई कार्यवाही वक्त 02-40 पीएम पर शुरू कि गई जो वक्त 06-55 पीएम पर संपादित हुई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही प्रथक से मुर्तिब की गई जिस पर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तथा धोवन की कार्यवाही में उपयोग में ली गई प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व चम्मच को जलाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री अरूण कुमार जो कि हाल ही सरपंच के पद पर प्रशासक के रूप में नियुक्त होने से आरोपी श्री अरूण कुमार के पास आय से अधिक परिसंपत्ति अर्जित करने संबंधि धारित पद नहीं होने के मददेनजर घर की खाना तलाशी नहीं लेने का निर्णय लिया गया। धोवन की कार्यवाही के दौरान ही परिवादी के कार्य से संबंधित पट्टा पत्रावली के दस्तयाब हेतु श्री गोविंद वर्मा एएसआई को ग्राम पंचायत जाणुंदा के लिए रवाना किया गया था। तत्पश्चात समय- 07-00 पीएम पर अब तक की ट्रेप कार्यवाही से उजागर हुए साक्ष्यों के विश्लेषण से आरोपी श्री अरूण कुमार प्रशासक द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर श्री अरूण कुमार को उसके जुर्म से आगाह कर विधिक प्रावधानानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अरूण कुमार प्रशासक के लिए भोजन की व्यवस्था कर

भोजन करवाया गया। तत्पश्चात समय- 07-10 पीएम पर रिश्तत राशि लेन देन के घटना स्थल का फर्द नक्शा मौका तैयार करने हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह परिवादी श्री रतनलाल एवं स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार व प्रशांत कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ श्री प्रमोद सिंह कानि के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री नारायण सिंह के घटना स्थल जैतपुरा चौराहा स्थित श्रीराम भोजनालय के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 07-50 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त हमराहयान के रिश्तत राशि लेन देन के घटना स्थल जैतपुरा चौराहा स्थित श्रीराम भोजनालय पहुंचा जहां पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाह की उपस्थिती मे रिश्तत राशि लेन देन के घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मौका प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बाद नक्शा मौका के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहयान के घटना स्थल से पुलिस चौकी आउवा के लिए रवाना होकर पुलिस चौकी आउवा पहुंचा। तत्पश्चात समय- 08-30 पीएम पर श्री मदनलाल ईमित्र संचालक ग्राम पंचायत जाणुंदा पाबंद शुदा परिवादी श्री रतनलाल के पुत्र श्री मुरलीधर के मकान की पट्टा आवेदन पत्रावली जो कि आरोपी श्री अरूण कुमार के घर से लेकर पुलिस चौकी आउवा उपस्थित आया तथा पत्रावली मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जिसे प्रथक से जरिये फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी पत्रावली के जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। श्री गोविंद वर्मा एएसआई ग्राम पंचायत जाणुंदा से निर्देशानुसार पुलिस चौकी आउवा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात समय- 09-20 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही मौके पर ही संपादित की जाने वाली कार्यवाही संपादित की जा चुकी है मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाह व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अरूणा कुमार प्रशासक एवं परिवादी श्री रतनलाल व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मुताबिक फर्दात के जब्त शुदा समस्त वजह सबूत एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित हमराह लायी गई आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित हमराह वाहनों से पुलिस चौकी आउवा से कार्यालय हाजा पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 10-20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा के उपरोक्त हमराहयान एवं उपरोक्त फिकरा के मालखाना वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचा। इस कार्यवाही से संबंधित जब्त शुदा आठ धोवन की शीशियां, रिश्तत राशि पैकेट, रिश्तत राशि बरामदगी स्थल पेंट का पैकेट, एवं रिश्तत राशि के साथ बरामदगी स्थल पर मिले रूमाल का पैकेट व रिश्तत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड का एक पैकेट व इसी वार्ता के दो पैन ड्राईव खुली हालात मे, मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिंह हैड कानि को सुपुर्द कर शील्ड शुदा समस्त आईटम जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंड्राज करवाया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए तहरीर चिकित्साधिकारी के नाम से जारी कर श्री गोविंद वर्मा एएसआई व श्री सतपाल कानि एवं कानि चालक श्री नारायण सिंह को जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 10-30 पीएम पर रिश्तत राशि लेन देन के वक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रूबरू गवाहान एवं परिवादी के श्री भवानी सिंह हैड कानि से डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट करवाकर साफ्टवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ट स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्तत राशि लेन देन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इस वार्ता के दो डब/कापी पेन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखे गये। तत्पश्चात लेन देन के वक्त की वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यु निकाली गई तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील मोहर किया गया थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इस रिकार्डिंग वार्ता मे रिकार्ड आवाज की पहचान परिवादी श्री रतनलाल ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री अरूण कुमार की होना बताया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट लेन देन वार्ता दिनांक 29-09-2025 को वक्त 01-45 एएम तक संपादित हुई। ट्रांसक्रिप्ट बनाने के दौरान ही श्री गोविंद वर्मा एएसआई ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन अवगत करवाया कि आरोपी श्री अरूण कुमार के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने आरोपी को बुखार होने से चिकित्सकीय पर्यवेक्षण मे रखा जाना आवश्यक है तथा आरोपी को अस्तपताल मे भर्ती करने की सलाह दी जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री गोविंद वर्मा को निर्देशित किया की आप व कानि चालक श्री नारायण सिंह आरोपी की निगरानी मे रहकर आरोपी का उपचार करावे। तत्पश्चात दिनांक- 29-09-2025 समय- 02-00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही मे हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्तत राशि कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के विडियो रिकार्डर से करवाई गई थी उक्त विडियो रिकार्डर मे से मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड की हैस वेल्यु निकाली तथा मेमोरी कार्ड के दो डब/ कापी पैन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली मे डालकर शील्ड कर व दो डब/कापी पैन ड्राईव खुली हालात मे जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया जिसकी फर्द जब्ती अलग से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 02-20 एएम पर कार्यवाही से संबंधित जब्त किये गये वजह सबूत के पैकेट व शीशियों को शील्ड करने मे प्रयोग मे ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 02-30

एएम पर जब्त शुदा मालखाना वजह सबूत रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की रिकार्ड वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सील शुदा पैकेट व इसी वार्ता के दो डब पैन ड्राईव खुली हालात मे एवं हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी कार्यवाही की आडियो विडियो रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड सीलशुदा पैकेट व इसी विडियो रिकार्डिंग के दो डब पैन ड्राईव खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिंह हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंड्राज करवाया गया। संपूर्ण कार्यवाही संपादित हो जाने पर दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी को अपने अपने सकूनत के लिए रवाना किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा पंचायत समिती मारवाड जक्शन जिला पाली राज द्वारा परिवादी श्री रतन लाल के पुत्र श्री मुरलीधर के जैतपुरा स्थित मकान का पट्टा देने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि के रूप मे 2,70,000/-रूपयों की मांग करते हुए पहले 1,50,000/ रुपये तथा पट्टा बनने के बाद पट्टा सुपुर्द करने पर शेष राशि 1,20,000/ रुपये देना तय हुआ जिसके अनुसरण मे दिनांक 28-09-2025 को पूर्व तयशुदा रिश्वत राशि 1,50,000/ रुपये (1,00,000/- रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा व 50,000/- रुपये के डमी नोट) प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब मे रखे जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से श्री अरूण कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री अरूण कुमार पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 48 साल निवासी गांव जैतपुरा पुलिस थाना मारवाड जक्शन तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली राजस्थान हाल प्रशासक (उप सरपंच) ग्राम पंचायत जाणुंदा पंचायत समिती मारवाड जक्शन जिला पाली राजस्थान के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय (खींव सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीयकार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अरूण कुमार पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 48 साल निवासी गांव जैतपुरा पुलिस थाना मारवाड जंक्शन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान हाल प्रशासक ग्राम पंचायत जाणुंदा पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम, को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 521 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1449-52 दिनांक 29.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली, 2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): DHARMENDRA Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): DUKIYA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)